

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 13/2026  
जी.सी.एम.एस नं. : 2026/14

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये  
श्री उम्मेद मल टेलर  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

1. श्री प्रतीक पंचाल पुत्र श्री गोविन्द पंचाल  
निवासी पंचाल मोहल्ला, उपली मोरडी,  
बांसवाड़ा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स  
त्रिपुरा जनरल स्टोर, नागदेला बस  
स्टेण्ड, चन्दु जी का गढा, उदयपुर रोड  
बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री भगवानदास कुंदानी (फर्म नोमिनी)  
मैसर्स रोहित मसाला उद्योग, संजय  
हिल्स लाल घाटी रोड, मन्दसौर, मध्य  
प्रदेश

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 23-03-2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 10-02-2026 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 11-02-2025 को 1.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स त्रिपुरा जनरल स्टोर, नागदेला बस स्टेण्ड, चन्दु जी का गढा, उदयपुर रोड बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री प्रतीक पंचाल पुत्र श्री गोविन्द पंचाल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स त्रिपुरा जनरल स्टोर, नागदेला बस स्टेण्ड, चन्दु जी का गढा, उदयपुर रोड बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) 500 ग्राम के 18 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) में गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 20/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2027** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/119 दिनांक 17-03-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 248 दिनांक 24-02-2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) का नमुना कोड क्रमांक **W-2027** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया।

मैसर्स मैसर्स रोहित मसाला उद्योग, संजय हिल्स लाल घाटी रोड, मन्दसौर, मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं यदि आपने उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम बिल की सूचना देने के लिये लिखा परन्तु विक्रेता द्वारा जवाब नहीं दिया गया। जवाब नहीं आने पर मैसर्स मैसर्स रोहित मसाला उद्योग, संजय हिल्स लाल घाटी रोड, मन्दसौर, मध्य प्रदेश को स्मरण पत्र एफएसएसए/ 2025/ 401 दिनांक 22.07.2025 एवं एफएसएसए/ 2025/ 440 दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया, जिस पर विक्रेता द्वारा अग्रीम माल खरीद बील पेश नहीं किया गया। अपनी फर्म का अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया।

विक्रेता द्वारा लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 10-02-2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 23-03-2026 को अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/119 दिनांक 17-03-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 248 दिनांक 24-02-2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) का नमूना कोड क्रमांक **W-2027** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया लाल मिर्च पाउडर (डिलक्स तेजा लाल) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण श्री प्रतीक पंचाल पुत्र श्री गोविन्द पंचाल निवासी पंचाल मोहल्ला, उपली मोरडी, बांसवाड़ा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स त्रिपुरा जनरल स्टोर, नागदेला बस स्टेण्ड, चन्दु जी का गढा, उदयपुर रोड बांसवाड़ा (राज.) को रुपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र), श्री भगवानदास कुंदानी (फर्म नोमिनी) मैसर्स रोहित मसाला उद्योग, संजय हिल्स लाल घाटी रोड, मन्दसौर, मध्य प्रदेश को रुपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद

न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला करण्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 23-03-2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(राजीव द्विवेदी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)  
बासवाड़ा (राज.)